16 अप्रैल 2014

प्रति

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय : निर्धनतम राज्य समावेशी वृद्धि(पीएसआईजी) के अंतर्गत भारत के चार राज्यों (उडीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार् में फिनस्कॉप सर्वेक्षण करने के लिए स्थानीय अनुसंधान गृह(हों) (एलएचआर) को किराये पर लेने हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध।

निविदा संख्या - सिडबी/पीएसआईजी/04-14/0**6**

डीएफआईडी द्वारा समर्थित निर्धनतम राज्य समावेशी वृद्धि(पीएसआईजी) कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की व्यापक आर्थिक संवृद्धि में निर्धन महिलाओं एवं पुरुषों को सहभागिता करने और उसका लाभ उठाने में समर्थ बनाना है तथा उनकी आय एवं रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। यह कार्यक्रम भारत के चार राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उडीसा तथा बिहार में कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यकम का उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों अधिक से अधिक वित्त प्रदान करना है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके और नाजुक आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। इस कार्यक्रम का प्रबंध भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक(सिडबी), नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है।

1. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जो इसके पश्चात सिडबी के रूप में संदर्भित होगा, आपको इस प्रस्ताव के संबंध में उक्त कार्य के लिए अनुरोध(आरएफपी) पैकेज के अनुरूप अपनी निविदा प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करता है।

2 इस पैकेज में निहित सभी सूचनाएं वाणिज्यिक रूप से गोपनीय मानी जाएंगी और आपसे भी यह अपेक्षा की जाती है कि आप इसका प्रसार उन्हीं तक सीमित रखेंगे, जिनके लिए ये आवश्यक हैं।

3 इस निविदा आमंत्रण(आईटीटी) पैकेज में निम्निलखित दस्तावेज शामिल हैं :

i. प्रावरण पत्र
ii. पावती पत्र
iii. निविदा आमंत्रण संबंधी अनुदेश
iv. प्रस्ताव का फार्म
v. विचारार्थ विषय
vi. मॉडल संविदा

4 यदि आप निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो आपको कार्य का नाम एवं निविदा संख्या का उल्लेख करते हुए 7 दिनों के भीतर पत्र, फैक्स या ई-मेल द्वारा (surendra@sidbi.in/jaganp@sidbi.in) पावती भेजनी होगी।

---

1 सिडबी को यह अधिकार है कि वह किसी अनुसंधान गृह विशेष को उनके संयुक्त अंकों (तकनीकी + वाणिज्य प्रस्तावों) तथा किसी पीएसआईजी राज्य विशेष में उनके अनुभव के आधार पर उन्हें एक या एक से अधिक राज्यों का आवंटन कर सके। तदनुसार, संगठन/ एजेंसी अनुरोध के लिए प्रस्ताव (आरएफपी) प्रस्तुत करते समय पीएसआईजी राज्यों में से प्रत्येक में अपने अनुभवों का उल्लेख करें।

**2** निविदा एक या एक से अधिक राज्यों के लिए प्रस्तुत की जा सकती हैं। तथापि, निविदा जिन राज्यों के लिए प्रस्तुत की जा रही है, उन सभी के लिए एक ही तकनीकी प्रस्ताव संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया जाए, जिसमें संगठन के राज्यवार अनुभव का उल्लेख किया गया हो और वाणिज्य प्रस्ताव प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग प्रस्तुत किए जाएं। सभी प्रस्ताव (तकनीकी प्रस्ताव संयुक्त रूप से एक ही तथा जिन राज्यों के लिए आवेदन किया गया है उनमें प्रत्येक राज्य के लिए वाणिज्य प्रस्ताव अलग-अलग रूप में )] अलग-अलग लिफाफे में सीलबन्द किये जाएं और उन्हें फिर किसी अन्य लिफाफे में रखा जाए।

---

5. सिडबी की अधिप्राप्ति नीति में यह निर्धारित है कि ऐसे परामर्शदाता, जो किसी परियोजना के डिजायन से संलग्न रहे हों, वे कार्यान्वयन चरण के लिए प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकते हैं। डिजायन के अंतर्गत संभाव्यता अध्ययन, कार्यान्वयन चरण के लिए विचारार्थ विषय की रूपरेखा तैयार करना, परियोजना का पूर्व मूल्यांकन तथा परियोजना की किसी अन्य तैयारी से संबंधित कार्य शामिल होंगे।

यदि प्रतिस्पर्द्धा मात्र कार्यान्वयन चरण के लिए की जाती है, तो ऐसे मामलों में निविदाकर्ताओं से अपेक्षित है कि अपनी पावती में इस बात की पुष्टि करें कि न तो वे स्वयं और न ही कोई निविदा संघ, उसकी मूल कम्पनी, उसके स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं, संबंधित कम्पनियों का कोई सदस्य और न ही कोई उप संविदाकर्ता इस परियोजना के डिजायन से किसी भी रूप में संबद्ध रहा

है। यदि आपको इसके बारे में कोई संदेह है, तो कृपया स्पष्टीकरण के लिए संविदा अधिकारी से संपर्क करें।

6 सिडबी का प्रयास रहेगा कि निविदा-आमंत्रण में सभी संबद्ध सूचनाएं उपलब्ध करा दी जाएं। तथापि, यदि निविदा अवधि में आपको किसी प्रकार की अन्य जानकारी या स्पष्टीकरण की आवश्यकता पड़े, तो आप केवल संविदा अधिकारी से ही संपर्क करें, जिनका नाम नीचे दिया गया है। निविदाकर्ता किसी भी जानकारी के लिए सिडबी के किसी अन्य कर्मी, जो निविदा आमंत्रण से संबंधित इस कार्य में संलग्न हो, से सीधे संपर्क न करे। इन अपेक्षाओं का अनुपालन न करने पर आपके संगठन को इस प्रतिस्पर्द्धा से बाहर किया जा सकता है।

संविदा अधिकारी अंतिम तिथि से पिछले 6 कैलेंडर दिवसों में किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देगा। अत: यदि किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो अपने प्रश्न इससे पूर्व जितना जल्दी हो सके भेज दें। समानता सुनिश्चित करने के लिए, यदि उचित समझा जाएगा, तो सिडबी का उत्तर प्रश्न पूछने वाले के नाम का उल्लेख किए बिना सभी निविदिकर्ताओं को भेजा जाएगा।

7 निम्नलिखित अनुदेशों की ओर आपका ध्यान विशेष रूप आकृष्ट किया जा रहा है:

| | |
|---|---|
| क) निविदाकर्ताओं की मिलीभगत | निविदा आमंत्रण अनुदेशों का पैरा- 10 |
| ख) हितों का टकराव | निविदा आमंत्रण अनुदेशों का पैरा-12 तथा परामर्शी संविदा की शर्तों का खंड21 |
| ग) प्रकटीकरण | निविदा आमंत्रण अनुदेशों का पैरा -13 |

8 निविदा एक या एक से अधिक राज्यों के लिए प्रस्तुत की जा सकती हैं। तथापि, जिन राज्यों के लिए निविदाएं प्रस्तुत की जा रही हैं, उनके लिए तकनीकी प्रस्ताव संयुक्त रूप से एक ही प्रस्तुत किया जाए, जिसमें संगठन के राज्यवार अनुभव का उल्लेख किया गया हो। तथापि, वाणिज्य प्रस्ताव प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग प्रस्तुत किए जाएं। सभी प्रस्तावों को [( एक संयुक्त तकनीकी प्रस्ताव- 5 प्रतियॉ ( 1 मूल प्रति तथा 4 प्रतियॉ + पीडीएफ फार्मेट में सॉफ्ट कॉपी के साथ 1 सीडी) तथा जिन राज्यों के लिए आवेदन किया गया है उनमें प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग वाणिज्य

प्रस्ताव - सॉफ्ट प्रतियों की आवश्यकता नहीं)] अलग-अलग लिफाफे में सीलबन्द किया जाए और उसे एक अन्य लिफाफे में रखा जाए। वाणिज्य निविदाओं के लिए प्रयोग की जाने वाली मुद्रा भारतीय रुपया होनी चाहिए और प्रस्ताव 6 माह तक वैध रहेंगे।

निविदाएं 15 मई, 2014 को 1730 बजे तक निम्नलिखित पते पर अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए :

निर्धनतम राज्य समावेशी वृद्धि कार्यक्रम(पीएसआईजी)
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)
भूतल, वीडियोकोन टावर, ई-1
रानी झांसी रोड, झंडेवालां एक्सटेंशन
नई दिल्ली - 110 055
फोन नम्बर - 011-23519653
ई-मेल आईडी - **surendra@sidbi.in.**

निर्धारित समय एवं तिथि के बाद प्राप्त होने वाली निविदाएं बिना खोले लौटा दी जाएंगी।

आवेदन तैयार करने से संबंधित किसी भी स्पष्टीकरण के लिए 25 अप्रैल, 2014 (1730 बजे) तक उप महाप्रबंधक, पीएसआईजी, सिडबी से ई-मेल **surendra@sidbi.in/Jagan@sidbi.in** पर संपर्क करें, जिनके उत्तर सिडबी की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। यदि आवश्यकता हुई तो सिडबी, नई दिल्ली में अनुमानत: 01 मई, 2014 को 1500 बजे एक पूर्व-प्रस्ताव बैठक भी आयोजित की जा सकती है। इसकी जानकारी सिडबी की बेवसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

तकनीकी बोलियां निम्नलिखित पते पर 19 मई, 2014 को 1100 बजे और वाणिज्यिक बोलियां नीचे दी गई जानकारी के अनुसार खोली जाएंगी:

उत्तर प्रदेश राज्य - 03 जून 2014 (1100 बजे)
बिहार राज्य - 03 जून 2014 (1230 बजे)
मध्य प्रदेश राज्य - 04 जून 2014 (1100 बजे)
उडीसा राज्य - 04 जून 2014 (1230 बजे)

निर्धनतम राज्य समावेशी वृद्धि कार्यक्रम(पीएसआईजी)
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)
भूतल, वीडियोकोन टावर, ई-1
रानी झांसी रोड, झंडेवालां एक्सटेंशन
नई दिल्ली - 110 055
फोन नम्बर - 011-23519653
ई-मेल आईडी - **surendra@sidbi.in.**

आप, दोनों बोलियॉ (तकनीकी एवं वाणिज्य प्रस्ताव) खोलने के समय और उससे संबधित पूर्व-प्रस्ताव बैठक, यदि कोई होगी तो, में अपने खर्चों पर भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं।

बोलीकर्ता चाहे उपस्थित हों या न हों, पीएसआईजी/सिडबी बोली खोलने में हुई देरी या स्थगन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि बोलियां खोलने/पूर्व प्रस्ताव की बैठक की तिथियों में कोई परिवर्तन होता है, तो पीएसआईजी/सिडबी द्वारा यथासंभव समस्त बोलीकर्ताओं को उसकी सूचना दी जाएगी।

9 इच्छुक स्थानीय अनुसंधान गृह/संगठन अपने प्रस्तावों के साािि इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए उनकी(अनुसंधान गृह/संगठन की) तकनीकी क्षमता का प्रमाण अवश्य संलग्न करें। इसमें समय-सीमा के भीतर कार्य को पूरा करने की क्षमता तथा वित्तीय सेवा क्षेत्र के दायरे में इसी प्रकार का सर्वेक्षण करने के पिछले अनुभव का उल्लेख करना शामिल हैं। स्थानीय अनुसंधान गृह/संगठन को इससे मिलते-जुलते सर्वेक्षण/अनुसंधान के कार्यान्वयन/समन्वयन के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए और भारत में वित्तीय सेवा क्षेत्र की पूरी समझ होनी चाहिए। इसमें से कम से कम 2 वर्ष का अनुभव अल्प वित्त के क्षेत्र में अनुसंधान/सर्वेक्षण करने का होना चाहिए। पीएसआईजी राज्यों में अल्प वित्त क्षेत्र में विशेष रूप से डॉनर समर्थित परियोजनाओं में कार्य करने का अनुभव वांछनीय है। तदनुसार, निविदाकर्ता पीएसआईजी राज्यों में अपने संगठन के राज्यवार अनुभव का उल्लेख करें।

एजेंसी की पिछले तीन वर्षों की औसतन वार्षिक कुल बिक्रियां कम से कम 5 करोड़ रुपये होनी चाहिए, जो कि संगठन के लेखा-परीक्षक द्वारा वार्षिक खातों की प्रतियों के साथ प्रमाणित हों।

आवदेन में मुख्य प्रबंधन और तकनीकी टीम का विवरण दिया जाए तथा नमूना डिजायन, सांख्कीय विश्लेषण, क्षेत्र कार्य, प्रश्नावली डिजायन और समग्र परियोजना का प्रबंध करने आदि में उनकी तकनीकी विशेषज्ञता का उल्लेख किया जाए। टीम के मुख्य सदस्यों का बायडाटा दिया जाए तथा जिन संसाधनों की आगे आवश्यकता पड़ सकती हो, उनका विवरण दिया जाए। नोट करें कि कम्पनी के अनुसंधान कौशल से जुड़ी विस्तृत जानकारी तथा विचाराधीन विषय में रेखांकित हर कार्य एवं दायित्व से जुडे प्रत्येक कर्मी का अपना-अपना विशेष महत्व है। संगठन के ग्राहक संविभाग तथा वित्तीय सेवा उद्योग में पिछले अनुभव का उललेख भी आवदेन में अवश्य किया जाए।

स्थानीय परियोजना समन्वयक के रूप में चिह्नित/चिह्नित की जाने वाली एजेंसियां, जिनकी भारत में फिनस्कॉप सर्वेक्षण के लिए अलग से नियुक्ति की जाती है, स्थानीय अनुसंधान गृहों के रूप में नियुक्ति की पात्र नहीं होगी।

इस संविदा के लिए निविदाओं का मूल्यांकन गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन पद्धति के अनुसार किया जाएगा। चारों राज्यों के लिए अलग-अलग मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य के संबंध में तकनीकी एवं वाणिज्य बोलियों का मूल्यांकन निम्नलिखित भारिताओं के अनुसार होगा :

| | |
|---|---|
| तकनीकी मूल्यांकन | 80% |
| वाणिज्य मूल्यांकन | 20% |

विशिष्ट तकनीकी मूल्यांकन मानदंड का अंकों सहित विवरण नीचे दिया जा रहा है

| | **मानदंड** | **अंक Marks** |
|---|---|---|
| 1 | प्रस्ताव की तकनीकी रूप से सशक्ता और सामान्य दृष्टिकोण | 35 |
| 2 | प्रतियोगी क्षमता ( टीम लीडर और/अथवा परियोजना टीम, स्थानीय/अंतरराष्ट्रीय परामर्शदाताओं, आदि का स्तर) और अनुसंधान गृह/संगठन का पिछला संबंधित अनुभव | 20 |
| 3 | पिछले कार्यों, अध्ययनों, अनुसंधान को संपन्न करने और कार्यक्रमों को आयोजित करने आदि की दृष्टि से भारत में वित्तीय सेवा क्षेत्र का ज्ञान | 15 |
| 4 | स्थानीय(राज्य विशिष्ट) स्तर पर जुड़ाव ( इन राज्यों में संगठन की उपस्थिति और इनमें कार्य करने का पिछला अनुभव) | 10 |
| | **अधिकतम अंक** | **80** |

10 आप एक राज्य अथवा बहु-राज्यों के लिए निविदा प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित हैं। सिडबी को यह अधिकार है कि वह किसी स्थानीय अनुसंधान गृह विशेष को उनके संयुक्त अंकों (तकनीकी + वाणिज्य प्रस्तावों) तथा किसी पीएसआईजी राज्य विशेष में उनके अनुभव के आधार पर उन्हें एक या एक से अधिक राज्य आवंटित कर सकता है। तदनुसार, संगठन एवं एजेंसी अनुरोध के लिए प्रस्ताव (आरएफपी) प्रस्तुत करते समय प्रत्येक पीएसआईजी राज्यों में अपने अनुभवों का उल्लेख करें।

11 तकीनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन चारों पीएसआईजी राज्यों के लिए अलग से किया जाएगा। तकनीकी मूल्यांकन में अधिकतम 80 अंकों में से न्यूनतम 60 अंक प्राप्त करने वाली फर्मों के ही वित्तीय प्रस्ताव उस पीएसआईजी राज्य विशेष के लिए खोले जाएंगे। तकनीकी मूल्यांकन में अर्ह न होने वाली फर्मों के वित्तीय प्रस्ताव बिना खोले ही लौटा दिए जाएंगे।

12 यदि आवश्यकता पड़ी, तो सूचीबद्ध फर्मों को अपने प्रस्तुतीकरण के लिए किसी निर्धारित दिन, जिसकी घोषणा की जाएगी, आमंत्रित किया जाएगा।

13 निविदाएं (तकनीकी एवं वाणिज्यिक) साझेदार सरकारों या संगठनों को उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि मूल्यांकन पेनल में शामिल होने की स्थिति में उन्हें इसका लाभ मिल सके।

14 निविदा प्रस्तुत करने हेतु जिन निविदाकर्ताओं को आंमत्रित किया जाएगा, उनसे यह अपेक्षित होगा कि वे परामर्शदायी संविदा की शर्तों का अनुपालन करें, जो संलग्न की जा रही हैं।

15 चयन प्रकिया पूरी होने पर सिडबी स्थानीय अनुसंधान गृह की नियुक्ति की पुष्टि के लिए संविदा जारी करेगा। सिडबी को यह अधिकार है कि वह किसी स्थानीय अनुसंधान गृह विशेष को उनके संयुक्त अंकों (तकनीकी + वाणिज्य प्रस्तावों) तथा किसी पीएसआईजी राज्य विशेष में उनके अनुभव के आधार पर उन्हें एक से अधिक राज्य आवंटित कर सके। तदनुसार, संगठन एवं एजेंसी अनुरोध के लिए प्रस्ताव (आरएफपी) प्रस्तुत करते समय प्रत्येक पीएसआईजीराज्यों में अपने अनुभवों का उल्लेख करें।

16 आवेदन तैयार करने से संबंधित किसी भी स्पष्टीकरण के लिए 25 अप्रैल, 2014 (1730 बजे) तक उप महाप्रबंधक, पीएसआईजी, सिडबी ई-मेल **surendra@sidbi.in/Jagan@sidbi.in** पर संपर्क करें ।

भवदीय,

सुरेन्द्र श्रीवास्तव
उप महाप्रबंधक
सिडबी/पीएसआईजी

**For remaining documents of this tender the English version of the RFP (http://sidbi.in/sites/default/files/tenders/RFP_SIDBI_PSIG_Local_Resource_House.pdf) link is attached**